

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

Telephone No. 07752-223271, Fax No. 07752-251008, E-mail ID -bilaspur.court@nic.in

—:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::—

क्रमांक-2517/चयन समिति/2023

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 15-07-2023 प्रातः 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 31-07-2023 शाम: 05:00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अंतर्गत कोर्ट मैनेजर के अमले हेतु निम्नानुसार स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) एवं भृत्य (संविदा) के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
शीघ्र लेखक हिन्दी (संविदा)	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भृत्य (संविदा)	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) पद के लिए :-

अ. वेतनमान – एकमुश्त मासिक – 20900/-

ब. शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
4. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

(2) सहायक ग्रेड-3 (संविदा) पद के लिए :-

अ. वेतनमान – एकमुश्त मासिक – 14200/—

ब. शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
3. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

(3) भूत्य (संविदा) पद के लिए :-

अ. वेतनमान – एकमुश्त मासिक – 11360/—

ब. शैक्षणिक योग्यता—

1. प्राथमिक शाला (कक्षा पांचवी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(कक्षा आठवी से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी)
2. आवेदित संविदा पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें।

नोट:-

अ- शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी वाटरमैन, फर्नास, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य का अनुभव हो और इसके अतिरिक्त झाड़वर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ाई, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के काम का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। (निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा)

ब- सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये निर्धारित प्रारूप में अपना "शपथ पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है)

1. सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/- रुपये (पांच रुपये) या 5/- रुपये (पांच रुपये) से अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
4. शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है, तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को "गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा (संविदा) से पृथक किया जा सकेगा।"

03 आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(अ) आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

(ब) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ0ग0 राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छ0ग0 राज्य के स्थानीय

निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(स) ऐसे अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें मुक्त/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में मान्य किया जावेगा।

(द) अन्य शर्तें :-

(1) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त की जाकर वैधानिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(2) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) कोई अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो और कोई अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी नैतिक अधमता (Moral Turpitude) हेतु दोषी ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया हो, वह संविदा के पद हेतु नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है, तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है, तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(8) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

(9) अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक् अथवा पदच्युत करते हुए संविदा के पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचरण के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, संविदा के पद हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) ऐसी अभ्यर्थी जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

04. उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

4(एक)(1):- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

4(एक)(2):- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ. प्र. दिनांक 20-01-1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

4(एक)(3):- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4(एक)(4):- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4(एक)(5):— ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4(एक)(6):— छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4(एक)(7):— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4(एक)(8):— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4(एक)(9):— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4(दो)(1):— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो)(2):— विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो)(3):— उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6-10/2004/1-9 दिनांक 06-07-2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमामें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक 4(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले

किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी कोई छूट, आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

05. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किये जावेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 31-07-2023 की संध्या 05:00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा), सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) एवं भृत्य (संविदा) (जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाले जा सकेंगे।
- (2) पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ई-मेल, फ़ैक्स, कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त/प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (3) **दिनांक 31-07-2023** की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (4) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायांप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (5) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालयीन वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग, डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।

- (7) आवेदन पत्र में आवेदक का स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना चाहिये तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- (8) आवेदन पत्र पर जहां पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (9) आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें।
- (10) आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेंगे, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (11) आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की मूलभूत त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (12) प्राप्त आवेदन पत्रों की चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> तथा जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 03 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
- (13) दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् पात्र आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

06. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा)

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
2. यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके स्नातक के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके प्राप्तांकों के संबंध में संबंधित विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उनके प्राप्तांकों का मिलान शेष अभ्यर्थियों के

प्राप्तांक से करते हुए पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) के पद हेतु कौशल परीक्षा

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा:-

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) पद हेतु :-

(अ) कौशल परीक्षा :-

अभ्यर्थियों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकेण्ड का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ0एस0/एम0एस0 वर्ड, कृति देव में ली जावेगी।

2. सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) पद हेतु :-

(अ) कौशल परीक्षा :-

अभ्यर्थियों को 250 शब्द का गद्यांश टाईप करने हेतु प्रदान किया जावेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ0एस0 /एम0एस0 वर्ड, कृति देव में ली जावेगी।

7. भृत्य (संविदा) नियुक्ति हेतु चयन विधि

(अ) भृत्य (संविदा) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर पांचवी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(ब) यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके 5वीं कक्षा के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके प्राप्तांकों के संबंध में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उनके प्राप्तांकों का मिलान शेष अभ्यर्थियों के प्राप्तांक से करते हुए पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(स) भृत्य (संविदा) के पद के चयन हेतु दक्षता परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

(द) भृत्य (संविदा) के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जावेगा।

08. चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) एवं सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) के पद हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एवं भृत्य (संविदा) के पद हेतु दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
2. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) तैयार की जावेगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों के अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो उपरोक्त सूची के प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0) को होगा।
4. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
5. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्मतिथि होने की दशा में संबंधित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात् स्टेनोग्राफर (हिन्दी) संविदा एवं सहायक ग्रेड-तीन संविदा हेतु स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर तथा भृत्य संविदा के पद हेतु कक्षा पाचवीं के प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर वरीयता दी जावेगी। अर्थात् जिस अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्रतिशत अर्जित किये गये हों, उसे वरीयता दी जावेगी।

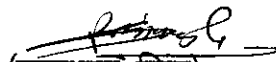
09. महत्वपूर्ण निर्देश

1. सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक-1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23-08-2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-06-2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप (एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी दावेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।

12. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
13. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
14. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में, कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।


(राजभान सिंह)

अध्यक्ष,

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बिलासपुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा) / सहायक ग्रेड-तीन (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट साईज
फोटो

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
.....
3. लिंग-पुरुष / महिला :
4. पिता / पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
.....
.....
.....

(ब) स्थाई पता :
:
:

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :
शब्दों में :

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु : वर्ष माह दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल :

निवासी है ? हाँ / नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायांप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

टीप :- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र	
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	
3. स्नातक प्रमाण पत्र	
4. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	
5. हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र	
6. कम्प्युटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	
7. छ0ग0 मूल निवास प्रमाण पत्र	
8. छ0ग0 स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
9. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र	
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र	
11. अन्य	

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी दावेदारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

100

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट साईज
फोटो

-
-
-

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :
छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति
/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ :
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
13. क्या आप विवाहित है ? हां/नहीं :
14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

कं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

16. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
17. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं?
हां/नहीं :
18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –
- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी दावेदारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

भृत्य (संविदा) पद हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

—:: शपथ पत्र ::—

मैं (शपथकर्ता का नाम) पिता/पति
..... जन्मतिथि वर्ग
निवासी जिला
का हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक
/2023 में भृत्य (संविदा) के पद पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन
करता/करती हूँ:-

- 1- यह कि मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता)
मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
- 2- मेरी पांचवी के अंकसूची में मेरा प्राप्तांक अथवा ग्रेड अथवा
..... सी0जी0पी0ए0 है। (यदि लागू न हो तो काट दिया जावे)
- 3- यह कि मैंने भृत्य के पद पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता
एवं कार्य अनुभव के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं उसके द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं
गयी है।
- 4- यह कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी
समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके
लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-

—:: सत्यापन ::—

मैं एतद द्वारा यह शपथ करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दू क्रं0-1 से 4 तक में दी गयी
समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य एवं सही है।

स्थान

दिनांक

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

नोट-शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों
से कराया जाएगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये
जाते हैं तब असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की
जावेगी।